सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई०डी०सं० 426/25-26

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीयन संख्या
पंजीयन सं० 5148350
दिनांक- 3/2/2026

सेवक में,
लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

1. आवेदक का नाम शशी भूषण प्रसाद

2. पूरा पता थाना कॉलोनी, गली नं०-4, रामकृष्णानगर, पटना
पो० :- न्यूजगनपुरा पटना 800027
जिला - पटना

3. मांगी गयी सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक - 3/एम-17/2024 सा० प्र० 6286, पटना दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन में पथ निर्माण विभाग में प्रत्येक तीन महीने में की गयी समीक्षा के उपरांत एक वर्ष से अधिक समय से निलंबित कर्मचारी / पदाधिकारी का निलंबन समाप्त नहीं करने के लिए कौन-कौन पदाधिकारी / कर्मचारी दोषी हैं। उनका नाम और पदनाम उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यदि समीक्षा की गयी तो समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

4. मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. [1] मैंने ..... रूपये (शब्दों में) .....
तिथि ..... को रसीद सं० ..... से विभाग कार्यालय से भुगतान किया है।

[2] मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानदेश सं० 216301 दिनांक 3.2.2026
जो लोकसूचना पदाधिकारी पदाधिकारी के पक्ष में G.P.O. Patna बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

[2] मैंने 10/— रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबंधकार दिया) है।

[4] मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

स्थान :

तिथ : 20/2/2026 पु०सी० 05/02/26

आवेदक का हस्ताक्षर शशी भूषण प्रसाद

ई-मेल पता, अगर कोई हो : .....

दूरभाष संख्या (कार्यालय) Mob: 9110123782

(आवास) : .....

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता : थाना कॉलोनी, गली नं० 4 रामकृष्णानगर, पो० : न्यूजगनपुरा, पटना जिला :- पटना।

नोट: गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

प्रपत्र 'ज'

(2)

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–426/25–26** 901(E) पटना, **दिनांक–** 6/02/2026

2/2 Komal (6.02.2026)

प्रेषकः

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13/14,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री शशी भूषण प्रसाद का सूचना आवेदन जो इस विभाग में दिनांक–03.02.2026 को प्राप्त हुआ है, संलग्न किया जाता है। **(आई०डी०सं०–426/25–26)।**

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा–**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र–'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा–**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र–'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के आलोक में वांछित सूचना **दो सेट में** अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Komal 6/2/26

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक–901(E) दिनांक– 6/02/2026

प्रतिलिपि : **अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–13/14,** पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Komal 6/2/26

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.....
.....
दिनांक-.....

D:\R.T.I. Section-32\Komal-32\R.T.I. FOLDER TILL-2025\praptra.-Ja.docx

(7)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या–निग/सारा–(विविध)–03/2026 1138(E) पटना, दिनांक 16/02/2026

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा–13
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदक श्री शशी भूषण प्रसाद का सूचना आवेदन (आई0 डी0 सं0–426/25–26) के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक– 901 दिनांक– 06.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आवेदक श्री शशी भूषण प्रसाद के द्वारा मांगी गयी सूचना आवेदन **(आई0 डी0 सं0–426/25–26) के** प्रपत्र–'क' में उल्लेखित किया गया सा0प्र0वि0 का पत्रांक–62861 दिनांक–18.04.2024 अस्पष्ट है। सा0प्र0वि0 के परिपत्र सं0–13888 दिनांक–21.07.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के 01(एक) वर्ष से अधिक समय से निलंबित पदाधिकारियों के निलंबन की प्रत्येक 03(तीन) महीने में समीक्षा की जाती है।

अतएव मांगी गयी सूचना के आलोक में विभाग अन्तर्गत निलंबन मुक्ति की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक–30.12.2025 की कार्यवाही की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराया जा सकता है (छायाप्रति संलग्न)।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16.02.26

प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा–13
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

S73(S) 28/01/26

सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2025 को आहूत पथ निर्माण विभाग के निलंबित पदाधिकारियों/कर्मचारी को निलंबन से मुक्त किये जाने के संबंध में बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री गुफरान अहमद, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री उमाकान्त रजक, अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री मजीद अहमद, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
5. श्री नीरज नारायण पाण्डेय, उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–13888 दिनांक 21.07.2023 एवं आदेश संख्या–21590 दिनांक 23.11.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के निलंबित पदाधिकारियों को निलंबन मुक्त किये जाने हेतु समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

परिपत्र संख्या–13888 दिनांक 21.07.2023 के कंडिका–5(iii) में प्रावधानित किया गया है कि:–

"प्रत्येक अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके नियंत्रणाधीन 01 (एक) वर्ष से ज्यादा अवधि से निलंबित सरकारी सेवकों के निलंबन की प्रत्येक 03 (तीन) महीने में समीक्षा की जाय। ऐसे मामलों से यदि प्रतिवेदित आरोप गम्भीर एवं संवेदनशील हो, तभी निलंबन को बरकरार रखने का निर्णय लिया जाय। शेष मामलों में संबंधित सरकारी सेवक को निलंबन मुक्त करते हुए उन्हें ऐसे पद पर पदस्थापित किया जाय, जहाँ से वे उनके विरूद्ध संचालित मामले को प्रभावित न कर सके।"

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–107 दिनांक 06.11.1993 में अंकित है कि लंबी अवधि से निलंबन के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ निलंबन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता देने के चलते सरकार को आर्थिक बोझ उठानी पड़ती है। इसके साथ ही सरकारी कार्यों के निष्पादन में भी बाधा पड़ती है।

उक्त के आलोक में समिति द्वारा वैसे पदाधिकारियों जो एक वर्ष से अधिक अवधि से विभिन्न मामलों में यथा– अप्रत्यानुपातिक धनार्जन, रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार एवं अन्य मामले से संबंधित निलंबित पदाधिकारियों के संबंध में समीक्षा की गयी। समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

कार्यालय निर्गत
पंजीयन सं०.....
.....
दिनांक.....

(क) अप्रत्यानुपातिक धनार्जन (D.A. Case) के मामले में निलंबित पदाधिकारियों के संबंध में :–

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	समिति की अनुशंसा
1.	श्री रविन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता (सेवानिवृति की तिथि–31.12.2032)	श्री कुमार के विरूद्ध रुपये 1,47,86,835/–(एक करोड़ सैतालीस लाख छियासी हजार आठ सौ पैतीस) के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–30/2021 दर्ज है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5163(एस) अनु० दिनांक–12.10.2022 के द्वारा जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित। अप्रत्यानुपातिक धनार्जन (डी०ए० केस) मामले में निलंबित पदाधिकारियों का मामला गंभीर भ्रष्टाचार का होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों के दिशा–निर्देशों के आलोक में समिति द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया ।
2.	श्री अरविन्द कुमार, कनीय अभियंता (सेवानिवृति की तिथि–31.01.2031)	श्री कुमार के विरूद्ध रुपये 1,51,30,580/–(एक करोड़ एकावन लाख तीस हजार पाँच सौ अस्सी) के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में विशेष निगरानी थाना कांड संख्या–12/2022 दर्ज है। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–07–सह–पठित ज्ञापांक–564(ई) दिनांक–24.01.2023 के द्वारा निलंबित करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–155–सह–पठित ज्ञापांक–6992(एस) अनु० दिनांक–07.11.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। अप्रत्यानुपातिक धनार्जन (डी०ए० केस) मामले में निलंबित पदाधिकारियों का मामला गंभीर भ्रष्टाचार का होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों के दिशा–निर्देशों के आलोक में समिति द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।
3.	श्री कौन्तेय कुमार, कार्यपालक अभियंता (सेवानिवृति की तिथि–30.11.2034)	श्री कुमार के विरूद्ध रुपये 1,76,82,920/–(एक करोड़ छियहत्तर लाख बेरासी हजार नौ सौ बीस) के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–38/2021 दर्ज है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2907(एस) अनु० दिनांक–21.06.2022 के द्वारा जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित है। अप्रत्यानुपातिक धनार्जन (डी०ए० केस) मामले में निलंबित पदाधिकारियों का मामला गंभीर भ्रष्टाचार का होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों के दिशा–निर्देशों के आलोक में समिति द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।

4.	श्री अनिल कुमार यादव, कार्यपालक अभियंता **(सेवानिवृति की तिथि–31.05. 2029)**	श्री यादव के विरूद्ध रुपये 98,41,366/–(अन्ठानवे लाख एकतालीस हजार तीन सौ छियासठ) के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–10/2022 दर्ज है। इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर प्रथम स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके आलोक में श्री यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। अप्रत्यानुपातिक धनार्जन (डी०ए० केस) मामले में निलंबित पदाधिकारियों का मामला गंभीर भ्रष्टाचार का होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों के दिशा–निर्देशों के आलोक में समिति द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।
5.	श्री श्रीकान्त शर्मा, वरीय परियोजना अभियंता (सेवानिवृति की तिथि–31.08. 2026)	श्री शर्मा के विरूद्ध रूपये 1,47,41,569/–(एक करोड़ सैतालीस लाख एकतालीस हजार पाँच सौ उनहत्तर) के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–028/2023 दिनांक 24.07.2023 दर्ज। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5963 (एस) दिनांक 26.11.2024 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। अप्रत्यानुपातिक धनार्जन (डी०ए० केस) मामले में निलंबित पदाधिकारियों का मामला गंभीर भ्रष्टाचार का होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों के दिशा–निर्देशों के आलोक में समिति द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।

(ख) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (Trap Case) के मामले में निलंबित पदाधिकारियों के संबंध में:–

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	समिति की अनुशंसा
1.	श्री नवल किशोर, कनीय अभियंता **(सेवानिवृति की तिथि–31.10.2027)**	श्री कुमार के विरूद्ध रू० 1,91,000/– (रूपये एक लाख ईक्यानवे हजार) मात्र लेते हुए निगरानी के धावा दल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–058/2018 दर्ज है। विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक–4318 (ई) दिनांक–12.07.2021 के द्वारा जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित है। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (Trap Case) मामले में निलंबित पदाधिकारी का मामला गंभीर भ्रष्टाचार का होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों के दिशा–निर्देशों के आलोक में समिति द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया गया।

(178) 13

(ग) अन्य मामले में निलंबित पदाधिकारियों के संबंध में:–

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	समिति की अनुशंसा
1.	श्री सुशांत कुमार, कार्यपालक अभियंता (सेवानिवृति की तिथि–31.12.2035)	इनके विरूद्ध पथों के निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितता के मामले में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5437(एस) दिनांक–05.11.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है। प्रस्तुत मामले में तदेन उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री महोदय द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई को निष्पादित करने का आदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में समिति द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय लेते हुए मामले को निष्पादित करने की अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

30/12/2025

(नीरज नारायण पाण्डेय)
उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग

30/12/2025

(मजीद अहमद)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग

30/12/25

(उमाकान्त रजक)
अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग

30/12/25

(गुफरान अहमद)
विशेष सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक:–निग/सारा–विविध–16/2023– 573(S) /पटना, दिनांक 28/01/26

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/वरीय प्रभारी, प्रशाखा–1, 2, 3 एवं 4 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.2026

(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

D/S
Komal
(17.02.2026)

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–426/25–26** **पटना, दिनांक–** 17/02/2026

1211(E)

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री शशी भूषण प्रसाद,
घाना कॉलोनी, गली नं०–4,
रामकृष्णानगर, पो०–न्यू जगनपुरा,
पटना–800027,
मो०–9110123782

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन जो इस विभाग में दिनांक–03.02.2026, को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–426/25–26)** में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :–

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1138 (ई)अनु० दिनांक–16.02.2026 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Komal 17/2/26

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक–1211(E) पटना, दिनांक– 17/02/2026

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Komal 17/2/26

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकरण निर्गत
पंजीयन सं०.....
.....
दिनांक–.....

M/M